# वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु विभिन्न एजेन्सीज के स्तर पर लगने वाली समय–सीमा।

## सारणी–13

| क0सं0 | गतिविधि | विभाग/समिति | समय सीमा | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| **A-** राज्य सरकार के स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु समय सीमा | | | | |
| 1. | प्रपत्र–2 में आवश्यक सूचना भरकर प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराना। | प्रयोक्ता एजेन्सी | – | वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने की औपचारिक कार्यवाही आरम्भ करना। |
| 2. | संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित कर सम्बन्धित विभागों को सूचित करना। | प्रभागीय वनाधिकारी | एक सप्ताह | |
| 3. | समिति द्वारा परियोजना स्थल पर संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करवाकर निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक सूचनायें समस्त अधिकारियों के हस्ताक्षर सहित 9 प्रतियों में प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराना। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त प्रपत्रों की एक प्रति सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। | उप–जिलाधिकारी की समिति | चार सप्ताह | प्रपत्र संख्या–4, 8, 9, 10, 11, 11.1, 14,15 से 15.6, 17, 17.1, 21, 23 से 23.3, 26, 30, 33 व 34<br>नोट–उक्त समस्त प्रपत्र प्रत्येक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जायेंगे। |
| 4. | समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्रों को सम्मिलित करते हुए 8 प्रतियों में प्रपत्रों को तैयार/हस्ताक्षर कर प्रपत्रों की एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराना। | प्रयोक्ता एजेन्सी | दो सप्ताह | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रपत्र संख्या–1, 3, 6, 7, 8, 9,12, 13, प्रपत्र 22 से 22.2, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 41, 43, 45, 47 एवं 48<br>नोट–उक्त प्रपत्रों में से केवल प्रयोजन विशेष हेतु निर्धारित प्रपत्र ही प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जायेंगे। |
| 5. | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये 8 सैट के प्रपत्रों व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले प्रपत्रों को सम्मिलित करते हुए प्रपत्रों को तैयार/हस्ताक्षर कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराना। | प्रभागीय वनाधिकारी | दो सप्ताह | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रपत्र संख्या–2.1, 5, 17, 17.1, 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46 व 47.<br>नोट– उक्त प्रपत्रों में से केवल प्रयोजन विशेष हेतु निर्धारित प्रपत्र ही प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जायेंगे। |
| 6. | प्रभागीय वनाधिकारी से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त होने व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्गत किये जाने वाले समस्त प्रपत्रों को सम्मिलित करते हुए चैक लिस्ट के अनुसार पूर्ण/त्रुटिरहित प्रस्ताव की 8 प्रतियॉ तैयार कर प्रस्ताव की 6 प्रतियॉ प्रभागीय वनाधिकारी को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराना। | प्रयोक्ता एजेन्सी | एक सप्ताह | पूर्ण/त्रुटिरहित प्रस्ताव की प्रतियॉ बांईड करवायी जायेंगी। |
| 7. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का परीक्षण कर पूर्ण/त्रुटिरहित प्रस्ताव की 5 प्रतियॉ सम्बन्धित वन संरक्षक को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराना। | प्रभागीय वनाधिकारी | एक सप्ताह | संरक्षित क्षेत्रों के प्रकरणों में प्रस्ताव की 6 प्रतियॉ वन संरक्षक को प्रेषित की जायेंगी। |
| 8. | वन संरक्षक द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को पूर्ण कर प्रस्ताव 4 प्रतियों में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना। | वन संरक्षक | दो सप्ताह | वन संरक्षक द्वारा प्रपत्र–2.2, 5 व 16 को आवश्यकता अनुसार भरा जायेगा।<br>संरक्षित क्षेत्रों के प्रकरणों में प्रस्ताव की 5 प्रतियॉ मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेंगी। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9.** | संरक्षित क्षेत्रों/वन्य जीव क्षेत्रों में वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्तावित होने की स्थिति में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करना। | मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक | एक सप्ताह | |
| **10.** | वन संरक्षक से पूर्ण/त्रुटिरहित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करना व प्रस्ताव को शासन का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रेषित करना। | नोडल अधिकारी | दो सप्ताह | यदि प्रस्ताव में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को लिखा जायेगा। |
| **11.** | शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव को भारत सरकार को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित करना। | नोडल अधिकारी/शासन | एक सप्ताह | |
| **12.** | वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रस्ताव को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करना। | प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन | एक सप्ताह | |
| **B-** भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण की स्वीकृति) निर्गत किये जाने के उपरान्त विभिन्न एजेन्सीज द्वारा अपेक्षित कार्यवाही – | | | | |
| **13.** | भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को पत्र निर्गत करना। | नोडल अधिकारी | एक सप्ताह | – |
| **14.** | नोडल अधिकारी द्वारा प्रेषित डिमाण्ड नोट प्राप्त होने के उपरान्त देय धनराशियों के भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट तैयार कर, भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित अन्य शर्तो का अनुपालन कर अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना। | प्रयोक्ता एजेन्सी | तीन सप्ताह | – |
| **15.** | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण /म्यूटेशन करना। | जिलाधिकारी | दो सप्ताह | जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के तहत म्यूटेशन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे। |
| **16.** | प्रयोक्ता एजेन्सी व जिलाधिकारी से सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त सूचनायें/अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त यदि कोई अन्य कोई सूचना नोडल अधिकारी को प्रेषित की जानी अपेक्षित हो, को सम्मिलित करते हुये समस्त सूचनाओं/अभिलेखों को नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना। | प्रभागीय वनाधिकारी | एक सप्ताह | |
| **17.** | जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी से सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या प्राप्त होने के उपरान्त भारत सरकार से द्वितीय चरण की स्वीकृति निर्गत करने हेतु अनुरोध करना। | नोडल अधिकारी | एक सप्ताह | – |
| **C-** भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति (द्वितीय चरण की स्वीकृति) के उपरान्त विभिन्न एजेन्सीज द्वारा अपेक्षित कार्यवाही – | | | | |
| **18.** | भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि प्रत्यावर्तन का शासनादेश निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध करना। | नोडल अधिकारी | एक सप्ताह | – |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **19.** | शासन द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण का औपचारिक शासनादेश निर्गत करना। | वन एवं पर्यावरण विभाग | एक सप्ताह | – |
| **20.** | प्रत्यावर्तित की गई वन भूमि पर खड़े पेड़ों की छपान सूची को तैयार कर वन विकास निगम को पेड़ों के पातन हेतु उपलब्ध कराना। | प्रभागीय वनाधिकारी | दो सप्ताह | – |
| **21.** | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई छपान सूची के अनुसार पेड़ों का पातन कर प्रकाष्ठ का निस्तारण व लाटों का इस्तीफा। | वन विकास निगम का सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक | पॉच सप्ताह | – |
| **22.** | पेड़ों का पातन होने के उपरान्त वन भूमि का सीमांकन/मुनारे बनाना व वन भूमि का प्रयोक्ता एजेन्सी को औपचारिक हस्तान्तरण। | प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी | एक सप्ताह | भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वन भूमि के औपचारिक प्रत्यावर्तन होने के उपरान्त ही आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य किया जा सकता है। |
| नोट :– उक्त प्रक्रिया सामान्य प्रकरणों के लिये लागू होगी व जिन प्रकरणों में अत्यधिक संख्या में पेड़ों का पातन व बड़े क्षेत्रफल की वन भूमि का प्रत्यावर्तन निहित होगा, उनमें आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार करने की समय सीमा में वृद्धि की जा सकती है। | | | | |

## समय सीमा का सारांश :–

**A-** राज्य सरकार के स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु समय सीमा– 16 सप्ताह।

**B-** भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण की स्वीकृति) के उपरान्त विभिन्न एजेन्सीज द्वारा अपेक्षित कार्यवाही – 8 सप्ताह।

**C-** भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति (द्वितीय चरण की स्वीकृति) के उपरान्त विभिन्न एजेन्सीज द्वारा अपेक्षित कार्यवाही – 10 सप्ताह।